क्रमांक: 1883-स0क0 (1)-95

प्रेषक

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण
विभाग ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा राज्य में।
2. आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांव मण्डल।
3. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में ।
4. सभी उप-मण्डल अधिकारी (ना0) हरियाणा राज्य में ।
5. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ।

दिनांक : 28-9-95

विषय :—अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तकनीकी शैक्षणिक तथा व्यावसायिक संस्थाओं में दाखिले के लिए आरक्षण ।

श्री मान जी,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र नं0 1872–स0क0–1/81, दिनांक 8–7–1981 की ओर आकर्षित करूं ।

2. मण्डल आयोग एवं हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों के दृष्टिगत पिछड़े वर्गों को तकनीकी, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक संस्थानों के दाखिले में उचित प्रतिनिधित्व देने का मामला सरकार के विचाराधीन था तथा विचारो उपरांत राज्य सरकार ने तकनीकी, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक संस्थानों में दाखिले में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है ।

3. इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त आरक्षण का लाभ देने हेतू पिछड़े वर्गों को दो खण्डों में रखा जाये अर्थात खण्ड "ए" तथा खण्ड "बी" (सूचि संलग्न) खण्ड "ए" जिसमें 67 पुरानी जातियां हैं उनके लिए आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत होगा तथा खण्ड "बी" जिसमें नई जो 5 जातियां शामिल की गई हैं उनके लिए 11 प्रतिशत आरक्षण होगा ।

4. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस समय अनुसूचित जातियों के लिए जो 20 प्रतिशत आरक्षण है, उसको यथावत रखा जाये ।

5. विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित करते समय इन्दिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत सरकार सिविल रिट पटीशन नं0 930 आफ 1990 में माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये, का भी ध्यान रखा जाये ।

6. आरक्षण का लाभ देते समय पिछड़ी जातियों में सम्पन्न पत्रों ( ) के बारे जो हिदायतों सरकार के पत्र नं0 1170–स0क0 (1)–95, दिनांक 7-6-95 द्वारा जारी की गई हैं उनकी दृढ़ता से पालना की जाये ।

संयुक्त सचिव,

कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग ।